धारा 29 : रजिस्ट्रीकरण [1][या निलंबन] का रद्दकरण

(1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक वारिसों द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,–

(क) कारबार किन्हीं कारणों से, जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक अस्तित्व के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा व्ययन भी है, बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है; या

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है; या

[2][**(ग)** कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो:]

[3][**परन्तु** रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।]

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख से जिसके अंतर्गत कोई भूतलक्षी तारीख भी है, जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, [4][उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी] प्रस्तुत नहीं की है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने [5][ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाएं, के लिए] विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ड.) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया है :

परन्तु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा खंड (ग) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमाांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (ग) इस प्रकार था :

"**(ग)** धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा।"

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा "लगातार छह मास की अवधि के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

रद्द नहीं करेगा।

[6][**परन्तु यह और** कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।**]**

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर का संदाय करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्यों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी ऐसी बाध्यता के, जो रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए है, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या उसके पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है, इलैक्ट्रोनिक जमा खाते या इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध–परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में इनपुट कर के प्रत्यय या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर के प्रत्यय के समतुल्य है:

परन्तु पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की दशा में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर ऐसी रकम का, जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु, जो विहित किए जाएं, से घटाकर आए या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन संदेय रकम, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, से संगणित की जाएगी।

उपयुक्त नियमः नियम 20, 21, 21क, 22 एवं 44

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी आरईजी–16, जीएसटी आरईजी–17, जीएसटी आरईजी–18, जीएएसटी आरईजी–19 एवं जीएसटी आरईजी–31

---

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।